...यालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिलाबून्दी(राज0)

...र्थना–पत्र संख्या :–74 / 2019 दायर दिनांकः 16.07.2020

GCMS NO:- 2019/00443

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

1. तुलस्या पुत्र नारायण जाति धाकड निवासी बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. तुलसी पुत्री नारायणतुलस्या पुत्र नारायण जाति धाकड निवासी बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी पत्नी बजरंग लाल निवासी रानीपुरा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
3. रामकुवांर पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति धाकड निवासी बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
4. शंकर लाल पुत्र किशन जाति धाकड निवासी बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
5. बुद्विप्रकाश पुत्र किशनजाति धाकड निवासी बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
6. हरनाथ पुत्र रामनारायण जाति धाकड निवासी बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
7. राधा पत्नी जगदीश जाति धाकड निवासी बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीशी पत्नी मदन जाति धाकड निवासी बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
2. रमेश पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
3. रामसहाय पुत्र रामनाथ जाति धाकड निवासी बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
4. मनभर पत्नी रामनाथ जाति धाकड निवासी बम्बूली तहसील नैनवां जिला बून्दी राज0।
5. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैंनवां जिला बून्दी।

–प्रत्यार्थीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 251 ए आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री महावीर धाकड।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री कन्हैयालाल धाकड़।

निर्णय दिनांक 26.07.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली तहसील नैंनवां के प्राथीगण 1 लगायत 2 की खातेदारी व आधिपत्य की खसरा सं. 1100 रकबा 13 बीघा व खसरा संख्या 1102 रकबा 07–02 बीघा कृषि भूमि स्थित है। यह कि ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली तहसील नैंनवां के प्रार्थीगण 3 लगायत 7 व प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमि खसरा सं. 1079 रकबा 45–12 बीघा स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि का खातेदारान के मध्य बाहमी विभाजन हो रहा है जिसमें पश्चिम और दक्षिणी भूमि प्रत्यार्थीगण जगदीशी के हिस्से में आयी है और पश्चिम उत्तरी भूमि प्रत्यार्थीगण 2 लगायत 4 के हिस्से में आयी है एवं शेष भूमि प्रार्थीगण 3 लगायत 7 के हिस्से में आयी है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ परिशिष्ट अ भी पेश किया है जिसमें सभी खातेदारान की हिस्से की भूमि को दर्शाया गया है। यह कि प्रार्थीगण की भूमि में जाने का एक रास्ता बम्बूली से लालगंज जाने वाले रोड से फटकर भूमि खसरा सं... 1078 से होता हुआ प्रार्थीगण की खाते की भूमि में पहुंचता है। यह रास्ता अनाधिकाल से चला आ ... है, जिसका सुखाधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:29:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

हो चुका है। इस रास्ते को परिशिष्ट अ में लाल स्याही से दर्शाया गया है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई दुसरा रास्ता प्रार्थीगण के खेतों में पहुंचने का नहीं है। इस रास्ते को विवादित रास्ते के रूप में प्रार्थना पत्र में आगे सम्बोधित किया जावेगा। यह कि प्रत्यार्थीगण जगदीशी के मन मे बंदयान्ति आ गयी है इस कारण जगदीशी ने बिना किसी हक आधिपत्य अधिकार से खसरा संख्या 1077 पर अपने हिस्से की आगे की भूमि पर कब्जा कर लिया एवं प्रार्थीगण की हिस्से में आने वाले रास्ते को अवरूद्ध करने पर आमादा हो गयी। प्रत्यार्थीया द्वारा किया गया अतिकमण को परिशिष्ट अ में नीली स्याही से बताया गया है। यह कि विवादित रास्ता करीब 15 फीट चौडा है, जिसको करीबन 30 फीट चौडा किया जाने की आवश्यकता है। जिसका प्रतिकर प्रार्थीगण अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण विवादित रास्ते को प्रार्थीगण के खेतों में जाने का रास्ता घोषित कराकर 30 फीट चौडा कराये, जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस व अन्य भू–राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन करावे एवं प्रत्यार्थीया जगदीशी बाई के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाये कि प्रत्यार्थीया जगदीशी विवादित रास्ते पर प्रार्थीगण के आने जाने, ट्रेक्टर, हल कुली, बैल व अन्य कृषि यंत्र लाने ले जाने में कोई दखल नहीं करे। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में परिशिष्ट अ ,नकल जमाबंदी व नकल नक्शा ट्रेस, शपथ–पत्र, बयान आदि पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब/रिपोर्ट तलब किया गया। प्रत्यार्थी संख्या 1 के जवाब अनुसार स्वयं जगदीशी अपने हिस्सा 1/4 पर काबिज रहकर कृषि कार्य करती चली आ रही है। प्रार्थीया ने उक्त भूमि रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से खरीद की थी तब से ही बतौर खातेदार काबिज है। प्रार्थीगण की भूमि में जाने का रास्ता कभी प्रत्यार्थी संख्या 1 के खसरा संख्या 1079 के हिस्सा 1/4 में होकर नहीं रहा हैं। बल्कि प्रार्थीगण का सदैव से रास्ता गुढादेवजी जाने वाले आम रास्ते से फटकर नाडा के पास होकर जाता है जिससे प्रार्थीगण अपने खेतों पर पहुंचते है एंव खसरा संख्या 1077, 1078 राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह दर्ज है। जिसमें होकर प्रार्थीगण का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। नक्शा परिशिष्ट अ में गलत अंकन किया है, जो मौके की स्थिति के विपरीत है।

तहसीलदार नैनवॉ से प्राप्त रास्ते के सम्बन्ध में रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को दिया जाने वाला रास्ता नक्शा ट्रेस परिशिष्ट 'क' में लाल स्याही से प्रदर्शित किया गया है। यह कि उक्त रास्ते हेतु खसरा संख्या 1077 रकबा 2–17 बीघा किस्म चरागाह मे से 2 गट्ठा चौडा एवं 48 गट्ठा लम्बा कुल 5 बिस्वा भूमि एंव खसरा संख्या 1078 रकबा 01–11 बीघा किस्म गै0मु0 बर्डा सिवायचक में से 2 गट्ठा चौडा व 110 गट्ठा लम्बा कुल 11 बिस्वा भूमि का रास्ता प्रस्तावित दिया जाना उचित होगा। यह कि इसके अतिरिक्त भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य सुलभ रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र में बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गयी। प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तहसीलदार नैनवां ने भी अपने जवाब/रिपोर्ट में प्रार्थीगण को प्रस्तावित नक्शा ट्रेस के अनुसार रास्ता दिया जाना उचित बताया है। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट में खसरा संख्या 1077 रकबा 02–17 बीघा भूमि को चारागाह दर्ज रिकार्ड बताया गया है। अतः चारागाह में रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही जा सकता। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। ग्राम बम्बूली पटवार हल्का बम्बूली तहसील नैंनवां के प्रार्थीगण 1 लगायत 2 की खातेदारी व आधिपत्य की खसरा सं. 1100 रकबा 13 बीघा व खसरा संख्या 1102 रकबा 07–02 बीघा कृषि भूमि व प्रार्थीगण 3 लगायत 7 व प्रत्यार्थीगण 1 लगायत 4 की खातेदारी भूमि खसरा सं. 1079 रकबा 45–12 बीघा कृषि भूमि पर आने जाने तथा ट्रेक्टर–ट्रोली आदि लाने ले जाने हेतु खसरा संख्या 1078 रकबा 01–[illegible] किस्म गै0मु0 बर्डा (सिवायचक) में से 2 गट्ठा चौडा व 110 गट्ठा लम्बा कुल [illegible] किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा परिशिष्ठ को परिशिष्ठ 'क' नाम दिया गया है [illegible] निर्णय का अभिन्न अंग होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:29:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ (बून्दी)

Scanned with CamScanner

प्रस्तावित नक्शा परिशिष्ट 'क' में खसरा संख्या 1077 किस्म चारागाह में रास्ता दर्ज नही किया जावे। तहसीलदार नैनवां को रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का नियमानुसार प्रतिकर राजकोष में जमा होने के उपरान्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जाकर मौके पर रास्ता बहाल करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.09.13 10:29:18 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner